न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/361

मिसल नम्बर– 74 / 2022

मोहन परिहार पुत्र श्री रामस्वरूप परिहार निवासी 534 सुभाषनगर द्वितीय कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा शहर

प्रार्थी।

बनाम

1.नरेन्द्र मोहन परिवार पुत्र मोहन परिहार निवासी 534 सुभाषनगर द्वितीय कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा शहर

2.श्रीमति डिम्पल पत्नि नरेन्द्र मोहन परिहार निवासी 534 सुभाषनगर द्वितीय कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा शहर

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र)

दिनांक 31/12/25

उपस्थिति:–

1.प्रार्थी स्वयं

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि मै तहसीलदार पद से सेवानिवृत कर्मचारी हूँ। मेरी उम्र 65 वर्ष है एवं अपने पुत्र एवं पुत्रवधु से प्रताडित वरिष्ठ नागरिक हूँ। सुभाषनगर द्वितीय कोटा में मेरा स्वयं का निर्मित मकान है जिसमें मै स्वयं मेरी पत्नि श्रीमती लाड परिहार उम्र 62 वर्ष मेरे पिताजी उम्र 101 वर्ष मेरा पुत्र नरेन्द्र मोहन उम्र 35 वर्ष उसकी पत्नि (मेरी पुत्रवधु) श्रीमती डिम्पल उम्र 34 वर्ष उसके दो पुत्र 7 एवं 5 वर्ष रहते है। घर का समस्त खर्च भी प्रतिमाह मेरे द्वारा वहन किया जा रहा है। मेरा पुत्र नरेन्द्र रात दिन शराब के नशे में रहता है तथा हम दोनो पति पत्नि से झगड़ा गाली गलोच करता रहता हैं। मारपीट करने की धमकी देता रहता है। रात के दो बजे तक हमें सोने नहीं देता। उसकी पत्नि (मेरी पुत्रवधु) डिम्पल भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करती रहती है। दोनो बच्चों को इस प्रकार हमारे सामने मारती पीटती रहती है कि उन्हें पिटते हुए देखकर हम दुःखी होते रहे। तथा इस प्रकार हमे प्रताडित करती रहती है एवं ऐसे मजबूर करती रहती है कि हम दोनो पति पत्नि हमारा निजि मकान छोडकर चले जाये। दिनांक 12.6.2022 को मुझे अजमेर जाना था, मेरी पुत्रवधु ने मेनगेट का ताला लगाकर हमे बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से चाबी मिलने पर हीह म बाहर निकल सके। इस प्रकार की हरकत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कभी भी कर हमें कमरे में बंद कर सकती है। अपनी योजना को सफल करने हेतु दोनो हमारे उपर कोई भी आरोप लगा सकते है तथा हमारे साथ कोई भी वारदात घटित कर सकते है। इस संबंध में मेरे द्वारा थाना अनन्तपुरा में भी दिनांक 15.6.2022 को परिवाद दिया गया था जो (AD-RAJPOL No. 275620012200634) पर दर्ज है किंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रति संलग्न है। मेरा पुत्र एवं मेरी पुत्रवधु योजना पूर्वक (घर से बाहर निकालने) हमें प्रताडित एवं भयग्रस्त कर मकान से बाहर निकालना चाहते है। अतः निवेदन है कि मेरे पुत्र नरेन्द्र एवं मेरी पुत्रवधु डिम्पल को मेरे निजि स्वनिर्मित मकान से उनके सामान सहित बेदखल कर हम वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुई। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मेरा पुत्र नरेन्द्र शराब के नशे में रहता है तथा हम दोनो पति पत्नि से झगड़ा गाली गलौच करता रहता है एवं उसकी पत्नि डिम्पल भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करती रहती है एवं हमें प्रताडित करती रहती है।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थी द्वारा स्वयं का निर्मित मकान है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को प्रताडित किया जा रहा है। जिस कारण से हम प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित मकान 534 सुभाषनगर द्वितीय कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा शहर प्रार्थीगण की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके प्रार्थीगण को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण

उपखण्ड अधिकारी

एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीगण के स्वामित्व वाले मकान 534 सुभाषनगर द्वितीय कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा शहर को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी अनन्तपुरा कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 31/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा